No. UD-A(3)-2/2010-I.
Government of Himachal Pradesh
Department of Urban Development.

To

The Secretary.
H.P. Vidhan Sabha,
Shimla-171004.

Dated:Shimla-2, the 17-8- 2016.

Subject: Introduction of "Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2016.

Sir,

I have the honour to give notice of my intention to introduce the "Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2016" in the current session of Himachal Pradesh Legislative Assembly.

I, therefore, request you to obtain the permission from the Hon'ble Speaker to include the aforesaid Bill in the list of business for introduction, consideration and passing the same in the current session in relaxation of relevant rules.

Three authenticated copies of the above mentioned Bill are enclosed, herewith.

Yours faithfully,

[Sudhir Sharma]
U.D. Minister, H.P.

2016 का विधेयक संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 46 का संशोधन।
4. धारा 121 का संशोधन।
5. धारा 157 का संशोधन।
6. धारा 159 का संशोधन।
7. धारा 352 का संशोधन।
8. धारा 384 का संशोधन।
9. द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 4 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा 3—क में, "तीन" शब्द के स्थान पर "पांच" शब्द रखा जाएगा ।

10 धारा 46 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 46 में,—

(क) उपधारा (1) में, "संयुक्त/सहायक आयुक्त" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

15 "परन्तु निगम में तैनात सात वर्ष से कम की सेवा वाले अधिकारी को संयुक्त आयुक्त के रुप में पदाभिहित किया

जाएगा और सात वर्ष से अधिक की सेवा वाले अधिकारी को अतिरिक्त आयुक्त के रुप में पदाभिहित किया जाएगा।"; और

(ख) उपधारा (2) में, "संयुक्त/सहायक आयुक्त" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे । 5

धारा 121 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 121 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि आयुक्त, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बिजली कुनेक्शन को प्रतिष्ठापित करने के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र को नामन्जूर कर सकेगा या वापस ले सकेगा और यदि प्रश्नगत परिसर का स्वामी या अधिभोगी करों के लिए निर्धारणीय है और मांग के अनुसार उसकी ओर से निगम को करों का बकाया है तो उसके पेयजल कुनेक्शन और मलवहन कुनेक्शन को काट सकेगा और उसे, ऐसे स्वामी या अधिभोगी के लिखित अनुरोध पर, आयुक्त द्वारा बीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।"। 10 15

धारा 157 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 157 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) आयुक्त, अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से निगम से सम्बन्धित चल या अचल सम्पत्तियों का, सिवाय ऐसी चल या अचल सम्पत्तियों के जो लोक उपयोगिता के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों को पट्टे पर या अन्यथा दी जानी है, सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय, पट्टे पर या अन्यथा निपटान कर सकेगा ।"। 20

6. मूल अधिनियम की धारा 159 में,— धारा 159 का संशोधन।

(क) खण्ड (ग) में, "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ग) के परन्तुक में, "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

7. मूल अधिनियम की धारा 352 में, "या जुर्माने से जो पांच हजार तक का हो सकेगा," शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "या दस हजार रुपए के जुर्माने से" शब्द रखे जाएंगे। धारा 352 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 384 में, "जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और जहां कि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा," शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पांच हजार रुपए के जुर्माने से और लगातार असफलता या उल्लंघन की दशा में प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 384 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:— द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

"सारणी

धारा, उप–धारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकेगा
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 98, उप–धारा (1) और (2).	भूमि या भवन के अन्तरण या न्यागमन की सूचना देने में असफलता।	8000	500
धारा 98, उप–धारा (3).	अन्तरण की लिखत पेश करने में असफलता।	7000	500
धारा 99.	नया भवन बनाने की सूचना देने में असफलता।	8000	500
धारा 100.	भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में असफलता।	8000	500
धारा 101.	जानकारी आदि देने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता।	10000	500
धारा 105, उप–धारा (2).	मूल्यांककों को जान–बूझकर विलम्ब कराना या बांधित करना।	10000	500
धारा 116.	अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध।	10000	500
धारा 131.	खाली भूमि या भवन की पुनः अधिभोग की सूचना देने में असफलता।	6000	500
धारा 136, उप–धारा (2).	आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	10000	1000
धारा 139.	दायित्व प्रकट करने में असफलता।	10000	1000
धारा 173.	नोटिस देने में असफलता।	5000	500
धारा 175.	जल प्रदाय की व्यवस्था किए बिना नए परिसरों को अधिभोग में लेने का प्रतिषेध।	6000	500
धारा 180.	प्रवेश, आदि से इन्कार।	10000	500
धारा 183, उप–धारा (1)	जल की पाइपों आदि का ऐसी स्थिति में लगाया जाना जहां उन्हें क्षति पंहुच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है।	5000	500
धारा 183, उप–धारा (2)	शौचालयों, आदि का ऐसी स्थिति में निर्माण करना जहां पाइपों को क्षति पहुंच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है।	5000	500

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 187.	नगरपालिका नाली की या नगरपालिका नाली में गिरने वाली नाली की अन्तर्वस्तु के निर्वाध प्रवाह को क्षति पहुंचाना या उनमें बाधा डालना।	7000	500
धारा 188, उप–धारा (2)	प्राइवेट नाली को नगरपालिका नाली के साथ सूचना के बिना न मिलाना।	5000	500
धारा 189.	जल निस्सारण रहित परिसरों में जल निकास के लिए व्यवस्था करने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	7000	500
धारा 190.	नाली के बिना नए परिसर बनाना।	10000	500
धारा191.	परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के लिए जल निकास संकर्म के बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	10000	1000
धारा 192.	कतिपय दशाओं में प्राइवेट नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का अनुपालन न करना।	5000	500
धारा 193.	किसी नाली के स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग के बारे में आयुक्त के आदेशों का अनुपालन न करना।	10000	1000
धारा 194.	मलवाही और वर्षा जलवाही नालियों को रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	10000	1000
धारा 195.	प्रांगण आदि को पाटने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	5000	500
धारा 197.	लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल या नालियों से कनैक्शन।	10000	1000
धारा 200, उप–धारा (4).	किसी पाइप या नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	10000	1000
धारा 206, उप–धारा (1).	अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन।	2000	—
धारा 206, उप–धारा (2).	नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर असफलता।	2500	—
धारा 206, उप–धारा (6).	अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगा जाना।	2000	—
धारा 206, उप–धारा (8).	अनुज्ञप्त नलसाज उप–विधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन, आदि असावधानी से या उपेक्षापूर्वक नहीं करेंगे।	5000	—
धारा 207.	जल या मलवाही संकर्मों के सम्बन्ध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध।	10000	1000

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 215, उप–धारा (3).	पथ की नियमित लाइन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण।	10000	1000
धारा 217.	भवनों को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता।	10000	1000
धारा 220.	भवनों को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता।	10000	1000
धारा 223, उप–धारा (5).	निगम के आदेशों के अनुपालन से अन्यथा किसी भूमि का उपयोग करना, विक्रय करना या उसके बारे में अन्यथा कार्यवाही करना या प्राइवेट पथ की व्यवस्था करना।	10000	1000
धारा 224, उप–धारा (1), खण्ड (क) और (ख)।	पथ के फेर–फार के लिए हेतुक दर्शित करने की या आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 225, उप–धारा (1).	प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता।	10000	1000
धारा 227, उप–धारा (1).	पथों आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध।	एक मास का कारावास या 10,000 रुपए या दोनों	1000
धारा 227, उप–धारा (2).	पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	एक मास का कारावास या 10,000 रुपए या दोनों	1000
धारा 228, उप–धारा (3).	ऐसे बरामदे, छज्जे, आदि की जो धारा 235 (1) के अनुसार बनाए गए हैं, में हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 229.	धरातल मंजिल के दरवाजों, आदि में ऐसे फेर–फार करने की कि वे बाहर की ओर न खुले, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10,000	1000
धारा 230, उप–धारा (1).	ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण आदि जो पथों में बाधा डालते हैं।	10,000	1000
धारा 230, उप–धारा (2).	पथों में वस्तुओं को जमा करना/रख देना आदि।	10000	1000
धारा 233, उप–धारा (1) और (2).	सार्वजनिक पथों में जीव–जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना।	10000	1000
धारा 234, उप–धारा (4).	रोक या तख्ताबन्दी आदि को विधि विरूद्धतः हटाना या प्रकाश को हटाना या बुझाना।	10000	1000
धारा 235, उप–धारा (1).	अनुज्ञा के बिना पथों का खोदना या तोड़ना और उन पर अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करना।	10000	1000
धारा 237, उप–धारा (2).	पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना।	5000	500
धारा 238, उप–धारा (1).	खतरनाक स्थान की मुरम्मत करने, बचाव करने या हाताबंदी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 240, उप–धारा (1).	लैम्पों को क्षति करना या हटाना।	5000	500
धारा 240, उप–धारा (2).	सार्वजनिक पथों आदि के प्रकाश को जानबूझकर और उपेक्षापूर्वक बुझाना।	5000	500
धारा 242.	आयुक्त की मंजूरी के बिना भवन बनाना।	10,000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों	1000
धारा 243, उप–धारा (1).	भवन बनाने के आशय की सूचना देने में असफलता।	10,000	1000
धारा 244.	भवनों में परिवर्धन आदि करने के आशय की सूचना देने में असफलता।	10000	1000

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 247, उप–धारा (4).	सूचना, आदि के बिना संकर्म का प्रारम्भ।	10000	1000
धारा 249.	पथों के कोनो पर भवनों को गोलाकार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10,000	1000
धारा 250, उप–धारा (1).	नए पथों को समतल किए बिना, भवनों का बनाया जाना।	10000	1000
धारा 250, उप–धारा (2).	पथ की नियमित लाइन से आगे को निकले या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में भवन बनाना या संकर्मों का निष्पादन।	10,000	1000
धारा 252.	ज्वलनशील सामग्री का अनुज्ञा के बिना प्रयोग।	10,000	1000
धारा 253.	मंजूरी के बिना बनाए गए भवनों को तोड़ने में असफलता या आदेश का उल्लंघन करके भवन बनाना।	10,000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों	1000
धारा 254.	मंजूरी की शर्तों आदि के उल्लंघन में भवन बनाना।	10,000	1000
धारा 256.	परिवर्तन करने में असफलता।	10,000	1000
धारा 257, उप–धारा (1) और (2).	पूरा होने के प्रमाण–पत्रों का अनुपालन न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग आदि।	10,000	1000
धारा 258, उप–धारा (1).	भवनों के प्रयोग पर निबन्धनों का अनुपालन न करना।	10,000	1000
धारा 258, उप–धारा (2). और (3)	भवन या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10,000	1000
धारा 259, उप–धारा (1).	खतरनाक दशा, आदि के भवनों को खाली करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता।	10,000	1000
धारा 264.	कूड़े के संग्रहण हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता।	5,000	500
धारा 265.	बाजार आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों से कूड़ा आदि हटाने के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	5000	500

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 266, उप–धारा (1).	कूड़ा और गन्दगी चौबीस घण्टों से अधिक समय तक रखना आदि।	5000	500
धारा 266, उप–धारा (2).	गन्दगी को पथ पर जाने देना।	5000	500
धारा 266, उप–धारा (3).	कूड़ा या गन्दगी आदि का पथ, आदि में जमा किया जाना।	5000	500
धारा 269, उप–धारा (1)	सेवा शौचालय को जल फ्लस/जल शील शौचालय में अपरिवर्तित करना और मूत्रालय अनुज्ञा के बिना या विहित निबन्धनों का उल्लंघन करके निर्मित्त किए नहीं जाएंगे।	5000	500
धारा 270, उप–धारा (1) और (2)	नव निर्मित्त या पुननिर्मित्त भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	5000	500
धारा 270, उप–धारा (3).	पृथक वासगृहों वाले आवास भवनों में धरातल मंजिल पर सेवकों के लिए शौचालय, स्नान करने या धोने की व्यवस्था में असफलता।	5000	500
धारा 271.	बहुत व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने में असफलता।	5000	500
धारा 272.	बाजार, पशु शैड, गाड़ी स्टैंड, आदि के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने की अध्यपेक्षा की अनुपालन में असफलता।	5000	500
धारा 273, खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ).	शौचालय या मूत्रालय के लिए स्थान, आदि सम्बन्धी उपबन्ध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 274, उप–धारा (2).	अति सघन भवनों को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 275.	मानव–निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 277, उप–धारा (1), (2),(3) और (4).	मानव–निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने के आदेश के अनुपालन में असफलता।	10000	1000

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 278.	अस्वच्छ झोंपड़ियों और शैडों आदि को हटाने की आयुक्त की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 279, उप–धारा (1).	धोबी द्वारा धुलाई की बाबत प्रतिषेध।	5000	500
धारा 280.	खतरनाक रोग की जानकारी देने में असफलता।	10000	1000
धारा 282.	भवनों या वस्तुओं की सफाई करने और उनके विसंक्रामण की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 283.	संक्रामित झोंपड़ियों या शैडों को नष्ट करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 284.	किसी ऐसे स्थान में जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित नहीं है, कपड़ों, बिस्तरों, आदि की धुलाई।	5000	500
धारा 286, उप–धारा (1).	धोबी या लांड्री को संक्रमित कपड़े भेजना।	5000	500
धारा 286, उप–धारा (2).	जिस धोबी या लांड्री को कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने में असफलता।	5000	500
धारा 287, उप–धारा (1), (2), और (3).	खतरनाक रोग आदि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक प्रवहणों का उपयोग।	5000	500
धारा 289.	भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण करने में असफलता।	10000	1000
धारा 290.	संक्रामित वस्तुओं का विसंक्रामण किए बिना व्ययन।	5000	500
धारा 291.	संक्रामित व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाना या विक्रय करना या कपड़े धोना।	10000	1000
धारा 292.	आयुक्त द्वारा लगाए गए निबन्धन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय।	10000	1000
धारा 293.	आयुक्त के प्रतिषेध के उल्लंघन में कुंओं और तालाबों से जल ले जाना और उसका प्रयोग।	10000	1000
धारा 294.	किसी खतरनाक रोग, आदि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में डालना।	10000	1000
धारा 295.	इस धारा के उपबन्ध के उल्लंघन में संक्रामित शवों को हटाना।	10000	1000

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 296, उप–धारा (1).	सूचना के बिना झाड़ूकशों आदि की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति।	कारावास जो एक मास तक हो सकेगा या 10,000 रुपये या दोनों	—
धारा 297.	शमशान या कब्रिस्तानों के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा जानकारी देने में असफलता।	5000	500
धारा 298.	अनुज्ञा के बिना नए शमशानों या कब्रिस्तानों का प्रयोग।	5000	500
धारा 299, उप–धारा(1).	शमशान या कब्रिस्तान बन्द करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 299, उप–धारा(2).	किसी शमशान या कब्रिस्तान को बन्द करने के पश्चात् उसमें शवों का दाहकर्म या दफनाया जाना।	10000	1000
धारा 300.	विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले जाना।	10000	1000
धारा 301, उप–धारा (1), खण्ड (ख).	मृत पशुओं के शवों को हटाने की सूचना देने में असफलता।	10000	1000
धारा 302 उप–धारा(1), (2), (3) और (6)	न्यूसेन्स करना	5000	100
धारा 303.	न्यूसेन्स हटाने या उपशमन के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 304, उप–धारा (4).	कुत्तों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घुमने देना।	5000	500
धारा 304, उप–धारा (5).	हिंसक कुत्ते को मुखबन्द, आदि लगाए बिना खुला घूमने देना।	5000	500
धारा 305.	प्रतिषेध के उल्लंघन में ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना।	10,000	1000
धारा 306.	खुली बत्ती रखना।	5000	500
धारा 307.	ऐसी आतीशबाजी, अग्न्यायुध, आदि छोड़ना जिनसे खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है।	5000	500

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 308.	भवनों, कुओं आदि को सुरक्षित करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 309.	अनुचित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि में घेरा लगाने की अध्यपेक्षा में असफलता।	10000	1000
धारा 314; उप–धारा (1).	अनुज्ञा के बिना नगरपालिका बाजारों में विक्रय करना।	10000	1000
धारा 315, उप–धारा (1).	अनुज्ञप्ति के बिना स्थानों का प्राइवेट बाजारों के रूप में प्रयोग करना और नगरपालिका वधशाला से भिन्न स्थानों का वधशालाओं के रूप में प्रयोग करना।	10000	1000
धारा 315, उप–धारा (2) परन्तुक (क).	आयुक्त द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन न करना।	10000	1000
धारा 317.	अनुज्ञप्ति आदि के बिना बाजार चलाना।	10000	1000
धारा 318.	अनुज्ञप्त बाजार में विक्रय करना।	10000	1000
धारा 319.	बाजार के निकट कारबार या व्यापार चलाना।	10000	1000
धारा 322.	अनुज्ञप्ति आदि के बिना बूचड़ों, मछियारों या कुक्कुट विक्रेताओं द्वारा व्यापार करना।	5000	500
धारा 323.	अनुज्ञा के बिना कारखाने आदि की स्थापना।	10000	1000
धारा 324.	अनुज्ञप्ति बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं नहीं चलाई जाएंगी।	10000	1000
धारा 325, उप–धारा (3).	जीव–जन्तुओं आदि का रखा जाना, परित्याग किया जाना या बांधा जाना।	5000	500
धारा 326, उप–धारा (5).	घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग।	10000	1000
धारा 327.	अनुज्ञप्ति आदि के बिना वस्तुओं का फेरी लगाकर विक्रय करना।	5000	500
धारा 328.	अनुज्ञप्ति के बिना या उस से प्रतिकूल रूप में भोजनालय, बासा या चाय की दुकान, आदि रखना।	10000	1000
धारा 329.	अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना।	10000	1000

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 356, उप–धारा (5).	अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पेश करने में असफलता।	10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों	1000
धारा 357.	आयुक्त को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश आदि की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से निवारित करना।	10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों	1000
धारा 358.	आयुक्त को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को साथ लगती किसी भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करना।	10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों	1000
धारा 363.	संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना या छेड़–छाड़ करना।	10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों	1000
धारा 370, उप–धारा (4).	परिसरों के स्वामियों का नाम और पता बताने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	10000	1000
धारा 371, उप–धारा (3).	जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश जारी करने से आठ दिन के पश्चात् भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा उसके स्वामी को अधिनियम आदि के उपबन्धों का अनुपालन करने की सुविधाएं देने में असफलता।	5000	500
धारा 409.	महापौर या किसी निगम प्राधिकारी आदि को बाधा पहुंचाना।	10000 रुपए या तीन मास तक का कारावास या दोनों	1000

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 410.	तल आदि दर्शित करने के लिए लगाया गया कोई चिन्ह हटाना।	5000	500
धारा 411.	निगम आयुक्त आदि के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित सूचना को हटाना आदि।	5000	500
धारा 412.	निगम में निहित किसी भूमि से मिट्टी बालू या अन्य सामग्री विधि विरूद्धतया हटाना या कोई पदार्थ विधि विरूद्धतया जमा करना या कोई अधिक्रमण करना।	10000	1000।"।

5

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4, निगम के गठन का उपबन्ध करती है। इस धारा के अधीन राज्य सरकार के पास नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन से अनधिक व्यक्तियों को मनोनीत (नाम निर्दिष्ट) करने की शक्ति है। अतः अब मनोनीत सदस्यों की संख्या को तीन से बढ़ाकर पांच करने का प्रस्ताव किया गया है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 46, राज्य सरकार को, नगर निगम में संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त और कतिपय अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त करती है। धारा 46 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, सात वर्ष की सेवा के साथ विधिक सलाहकार–एवं–विधि अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त के रुप में अभिहित हो/कर दिया जाएगा, जबकि राज्य सिविल सेवा का कोई अधिकारी आठ वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् संयुक्त आयुक्त के रुप में अभिहित किया जाएगा। इसलिए, इस अस्पष्टता को दूर करने के आशय से, नगर निगम में तैनात सात वर्ष से कम सेवा वाले किसी प्रशासनिक अधिकारी को संयुक्त आयुक्त के रुप में और सात वर्ष से अधिक की सेवा वाले किसी अधिकारी को अतिरिक्त आयुक्त के रुप में अभिहित करने के लिए उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के अधीन उपबंधित शास्तियां वर्तमान समय और युग में नाममात्र की हैं । पच्चीस रुपए से दो सौ रुपए तक की शास्ति का अधिरोपण बिल्कुल पर्याप्त नहीं समझा गया है और यह शास्ति के नाम पर केवल क्षमा ही है । नगरपालिका विधियों के अधीन विद्यमान शास्तियों की बाबत विवाद्यक, सी0डब्ल्यू0पी0आई0एल0 नम्बर 28/2011 नामतः अभिषेक राय बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की सुनवाई के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि सरकार को नगरपालिका विधियों के अधीन शास्तियों में बढ़ौतरी करने पर विचार करना चाहिए । इस विवाद्यक का परीक्षण किया गया और पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन उपबन्धित शास्तियों का बढ़ाया जाना न्याय संगत और समुचित समझा गया है ताकि उपबन्धों को और अधिक भयोपरापी बनाया जा सके। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 157 के अनुसार निगम की चल (जंगम) या अचल (स्थावर) सम्पत्ति का केवल पट्टे, विक्रय या अन्यथा केवल सार्वजनिक नीलामी द्वारा ही व्ययन किया जा सकता है। निगम अपनी सम्पत्तियों को लोक प्रयोजन के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया को अपनाए बिना, सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को उपलब्ध नहीं करवा सकता है। निगम के पास लोक उपयोगिता स्कीमों से सम्बन्धित बहुसंख्या में अनुरोध लंबित हैं, किन्तु विद्यमान उपबन्ध के कारण निगम, ऐसे लोक प्रयोजनों के लिए, अपनी सम्पत्तियों को ऐसे विभागों, बोर्डों या निगमों को उपलब्ध नहीं करवा सकता है। इसलिए निगम को व्यापक जनहित में ऐसी लोक उपयोगिता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अपनी सम्पत्तियों को सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को आबंटित/व्ययन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है।

इसके अतिरिक्त, धारा 159 के अनुसार आयुक्त की संविदा करने की वित्तीय शक्ति पांच लाख रुपए तक ही सीमित की गई है और तत्पश्चात् आयुक्त को पांच लाख से अधिक के कार्य/संविदा के निष्पादन हेतु निगम की आम सभा को निवेदन करना पड़ता है जिसके फलस्वरुप ऐसे संकर्म के निष्पादन में विलम्ब होता है। इसलिए, ऐसे विलम्ब से बचने और विकासात्मक क्रियाकलापों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करने के आशय से आयुक्त की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर बीस लाख रुपए तक करने का विनिश्चय किया गया है और बीस लाख रुपए से अधिक के लिए निगम का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(सुधीर शर्मा)
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
तारीख 2016

वित्तीय ज्ञापन

--शून्य--

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

--शून्य--

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

(सुधीर शर्मा)
प्रभारी मन्त्री ।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं:

4. **निगम का निगमन और गठन.**—(1) निगम एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पति का अर्जन करने, उसे धारण करने और उसका व्ययन करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाया सकता है और उस पर वाद लाया जा सकता है।

(2) उप–धारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाए, निगम में सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका क्षेत्र इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड कहलाएंगे।

(3) नगर निगम में इस धारा के अधीन सीधे निर्वाचन द्वारा चुने हुए, व्यक्तियों के अतिरिक्त, पूर्णतः या अंशतः नगरपालिका क्षेत्र में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्य, भी पार्षद होंगे।

(3–क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, जो "तीन" से अधिक नहीं होंगे, पार्षदों के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि व्यक्ति जिसने किसी नगर निगम का ठीक पूर्ववर्ती चुनाव लड़ा हो और हारा हो तो वह उस नगर निगम या किसी अन्य नगर निगम के पार्षद के रूप में, इसकी विद्यमान अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् इस उप–धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई पार्षद् राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारित करेगा, परन्तु इस अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) में यथा उपबन्धित निगम की अवधि से परे नहीं।

(3–ख) उप–धारा (3–क) में नामनिर्दिष्ट पार्षदों तथा आयुक्त को निगम की सभी बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) जहां इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात, धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन कोई नगरपालिका क्षेत्र, निगम घोषित किया जाता है, वहां इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन या द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन आयुक्त द्वारा छः मास से

अनधिक अवधि के लिए किया जाएगा या जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम का गठन, जो भी पहले हो, नहीं कर दिया जाता।

46. संयुक्त/सहायक आयुक्त और कतिपय अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.–(1) राज्य सरकार, यदि उसकी राय में ऐसा करना जनहित में समीचीन है, निगम के कृत्यों के दक्षपूर्ण निर्वहन के लिए धारा 45 के अधीन नियुक्त आयुक्त की सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जो संयुक्त/सहायक आयुक्त कहलाएंगे और व सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जा सकेगी।

(2) निगम के अनुमोदन और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त संयुक्त/सहायक आयुक्त, आयुक्त के अधीनस्थ होंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जैसे कि इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को प्रदत्त और अधिरोपित किए जा सकेंगे और जो उन्हें आयुक्त द्वारा आगे प्रत्यायोजित किए गए हैं।

(3) निगम को सभी विधिक मामलों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक विधि सलाहकार एवं विधि अधिकारी होगा जिसे ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाएं, निगम द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु वह ग्रेड में पांच वर्ष के नियमित सेवाकाल को पूर्ण करने के पश्चात् संयुक्त आयुक्त (विधि) के रूप में तथा संयुक्त आयुक्त (विधि) के रूप में कम से कम दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने पर अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

121. करों के संदाय का समय और रीति.–इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहित कोई कर या फीस ऐसी तारीखों को, उतनी किस्तों में और ऐसी रीति से संदेय होगी, जो इस निमित्त बनाई गई विधियों द्वारा, अवधारित की जाए:

परन्तु यदि कर या फीस, देय तारीख से एक मास के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो प्रत्येक कलैण्डर मास या उसके किसी भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभावित किया जाएगा।

157. सम्पत्ति का व्ययन.–निगम की सम्पत्ति के व्ययन की बाबत निम्नलिखित उपबन्ध होंगे, अर्थात्:–

(क) आयुक्त, इस अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्थाई समिति के पूर्व अनुमोदन से, लोक नीलामी द्वारा निगम से सम्बन्धित किसी जंगम (चल) या स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विक्रय द्वारा, पट्टे पर या अन्यथा व्ययन कर सकेगा;

(ख) स्थावर (अचल) सम्पत्ति के अन्तरण की पद्धति और पुरोभाव्य शर्त, निगम द्वारा बनाए गए विनियमों या उपविधियों द्वारा शासित होगी; और

(ग) आयुक्त, एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें स्थावर सम्पत्तियों का ब्यौरा दिया जाएगा और उक्त तालिका में, ऐसी रीति में जैसी उप–विधियों द्वारा विहित की जाए, परिवर्तन, यदि कोई हो, दर्शित करते हुए वार्षिक विवरणी तैयार करेगा तथा उसे वर्ष के अन्त में विचार करने के लिए निगम के समक्ष रखेगा।

159. संविदा करने की प्रक्रिया.–संविदा करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे; अर्थातः–

(क) निगम की ओर से प्रत्येक ऐसी संविदा आयुक्त द्वारा की जाएगी;

(ख) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए , जिसे आयुक्त इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसार निगम या किसी अन्य नगरपालिका प्राधिकारी के अनुमोदन या मन्जूरी के बिना कार्यान्वित नहीं कर सकता, आयुक्त तब तक कोई संविदा नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अनुमोदन या मन्जूरी सम्यक् रूप से अभिप्राप्त न कर ली गई हो;

(ग) प्रत्येक संविदा, जिसमें पांच लाख रुपए से अनधिक व्यय या ऐसी उच्चतर रकम, जिसे निगम नियत करे, अन्तवर्लित है, आयुक्त द्वारा की जाएगीः

परन्तु 'पांच लाख रुपए' के मूल्य से अधिक की या ऐसी उच्चतर रकम, जिसे निगम नियत कर सकेगा, की संविदा केवल निगम के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही आयुक्त द्वारा की जाएगी।

352. शास्ति.–जो कोई भी इस अध्याय के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, किसी वृक्ष को गिराता है या वृक्ष गिराने के लिए दुस्प्रेरित करता है या किसी वृक्ष को गिरवाता है, इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में वृक्ष अधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश या अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, दोष–सिद्धि पर कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के भंग या प्रत्येक वृक्ष काटने या नष्ट करने के बारे में उसके भंग का दुष्प्रेरण पृथक अपराध होंगे।

384. साधारण शास्ति .–जो कोई किसी ऐसे मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा कोई शास्ति स्पष्टतः उपबन्धित नहीं की है, इसके किसी उपबन्ध के अधीन जारी की गई किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अन्यथा उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, और जहां कि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, पचास रूपये तक का जो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 383 देखिए)

शास्तियां

स्पष्टीकरण.—निम्नलिखित सारणी के द्वितीय स्तम्भ में "विषय" शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियां उन अपराधों की, जो प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित उपबन्धों में विहित हैं, परिभाषाओं के रूप में या उन उपबन्धों की संक्षिप्तियों के रूप में आश्यित नहीं हैं, वे केवल उनके विषय के प्रति निर्देश के रूप में दी गई है:—

धारा, उप–धारा, खण्ड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकेगा	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित जा सकेगा
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 98, उप–धारा (1) और (2).	भूमि या भवन के अन्तरण या न्यागमन की सूचना देने में असफलता।	500	50
धारा 98, उप–धारा (3).	अन्तरण की लिखित पेश करने में असफलता।	500	50
धारा 99.	नया भवन आदि बनाने की सूचना देने में असफलता।	500	—
धारा 100.	भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में असफलता।	500	50
धारा 101.	जानकारी आदि देने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता।	500	—
धारा 105, उप–धारा (2).	मूल्यांककों को जान–बूझकर विलम्ब कराना या बांधित करना।	500	—
धारा 116.	अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध।	500	50
धारा 131.	रिक्त भूमि या भवन की सूचना देने में असफलता।	500	50
धारा 136, उप–धारा (2).	आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	500	—
धारा 139.	दायित्व प्रकट करने में असफलता।	500	—
धारा 173.	नोटिस देने में असफलता।	500	—
धारा 175.	जल प्रदाय की व्यवस्था किए बिना नए परिसरों को अधिभोग में लेने का प्रतिषेध।	500	50

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 180.	प्रवेश, आदि से इन्कार।	500	—
धारा 183, उप–धारा (1)	जल पाइपों आदि का ऐसी स्थिति में लगाया जाना जहां उन्हें क्षति पंहुच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है।	500	—
धारा 183, उप–धारा (2)	शौचालयों, आदि का ऐसी स्थिति में निर्माण करना जहां पाइपों को क्षति पहुंच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है।	500.	50
धारा 187.	नगरपालिका नाली की या नगरपालिका नाली में गिरने वाली नाली की अन्तर्वस्तु के निर्वाध प्रवाह को क्षति पहुंचाना या उनमें बाधा डालना।	500	50
धारा 188, उप–धारा (2)	प्राइवेट नाली को नगरपालिका नाली के साथ सूचना के बिना न मिलना।	500	50
धारा 189.	जल निस्सारण रहित परिसरों में जल निकास के लिए व्यवस्था करने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	500	50
धारा 190.	नाली के बिना नए परिसर बनाना।	1000	100
धारा 191.	परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के लिए जल निकास संकर्म के बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	500	50
धारा 192.	कतिपय दशाओं में प्राइवेट नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का अनुपालन न करना।	500	50
धारा 193.	किसी नाली के स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग के बारे में आयुक्त के आदेशों का अनुपालन न करना।	500	—
धारा 194.	मलवाही और वर्षा जलवाही नालियों को रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	500	—
धारा 195.	प्रांगण आदि को पाटने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	500	—
धारा 197.	लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल या नालियों से कनैक्शन।	500	50
धारा 200, उप–धारा (4).	किसी पाइप या नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना।	500	50
धारा 206, उप–धारा (1).	अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन।	500	—
धारा 206, उप–धारा (2).	नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर नाम।	500	—

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 206, उप–धारा (6).	अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगा जाना।	500	–
धारा 206, उप–धारा (8).	अनुज्ञप्त नलसाज उप–विधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन, आदि असावधानी से या उपेक्षापूर्वक नहीं करेंगे।	500	–
धारा 207.	जल या मलवाही संकर्मों के सम्बन्ध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध।	500	–
धारा 215, उप–धारा (3).	पथ की नियमित लाइन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण।	2,000	200
धारा 217.	भवनों को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता।	500	50
धारा 220.	भवनों को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाने की अध्यपेक्षा करने में असफलता।	500	50
धारा 223, उप–धारा (5).	निगम के आदेशों के अनुपालन से अन्यथा किसी भूमि का उपयोग करना, विक्रय करना या उसके बारे में अन्यथा कार्यवाही करना या प्राइवेट पथ की व्यवस्था करना।	500	50
धारा 224, उप–धारा (1), खण्ड (क) और (ख)।	पथ के फेर–फार के लिए हेतुक दर्शित करने की या आयुक्त के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	50
धारा 225, उप–धारा (1).	प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता।	500	50
धारा 227, उप–धारा (1).	पथों आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध।	एक मास का कारावास या 1,000 रुपये या दोनों	100
धारा 227, उप–धारा (2).	पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	50

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 228, उप–धारा (3).	ऐसे बरामदे, छज्जे, आदि की जो धारा 235 (1) के अनुसार बनाए गए हैं, में हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	50
धारा 229.	निचली मंजिल के दरवाजों, आदि में ऐसे फेर–फार करने की कि वे बाहर की ओर न खुले, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	1,000	50
धारा 230, उप–धारा (1).	ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण आदि जो पथों में बाधा डालते हैं।	1,000	100
धारा 230, उप–धारा (2).	पथों में वस्तुओं को जमा करना।	500	—
धारा 233, उप–धारा (1) और (2).	सार्वजनिक पथों में जीव–जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना।	500	50
धारा 234, उप–धारा (4).	रोक या तख्ताबन्दी आदि को विधि विरूद्धतः हटाना या प्रकाश को हटाना या बुझाना।	500	—
धारा 235, उप–धारा (1).	अनुज्ञा के बिना पथों का खोदना या तोड़ना और उन पर अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करना।	500	50
धारा 237, उप–धारा (2).	पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना।	500	—
धारा 238, उप–धारा (1).	खतरनाक स्थान की मुरम्मत करने, बचाव करने या हाताबंदी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	50
धारा 240, उप–धारा (1).	लैम्पों को क्षति करना इत्यादि या हटाना।	500	—
धारा 240, उप–धारा (2).	सार्वजनिक पथों आदि के प्रकाश को जानबूझकर और उपेक्षापूर्वक बुझाना।	500	—
धारा 242.	आयुक्त की मंजूरी के बिना भवन बनाना।	5,000	500
धारा 243, उप–धारा (1).	भवन बनाने के आशय की सूचना देने में असफलता।	500	—
धारा 244.	भवनों में परिवर्धन आदि करने के आशय की सूचना देने में असफलता।	500	50
धारा 247, उप–धारा (4).	सूचना आदि के बिना संकर्म का प्रारम्भ।	2,000	200

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 249.	पथों के कोनों पर भवनों को गोलाकार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	50
धारा 250, उप–धारा (1).	नए पथों को समतल किए बिना, भवनों का बनाया जाना।	1000	50
धारा 250, उप–धारा (2).	पथ को नियमित लाइन से आगे को निकले या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में भवन बनाना या संकर्मों का निष्पादन।	1,000	—
धारा 252.	ज्वलनशील सामग्री का अनुज्ञा के बिना प्रयोग।	1,000	—
धारा 253.	मंजूरी के बिना बनाए गए भवनों को तोड़ने में असफलता (या आदेश का उल्लंघन करके भवन बनाना)।	2,000	200
धारा 254.	मंजूरी को शर्तों आदि के उल्लंघन में भवन बनाना।	2,000	200
धारा 256.	परिवर्तन करने में असफलता।	2,000	—
धारा 257, उप–धारा (1) और (2).	पूरा होने के प्रमाण–पत्रों का अनुपालन न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग आदि।	500	50
धारा 258, उप–धारा (1).	भवनों के प्रयोग पर निबन्धनों का अनुपालन न करना।	1,000	100
धारा 258, उप–धारा (2). और (3)	भवन या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	2,000	200
धारा 259, उप–धारा (1).	खतरनाक दशा, आदि के भवनों को खाली करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता।	1,000	100
धारा 264.	कूड़े आदि के संग्रहण हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता।	500	50
धारा 265.	बाजार आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों से कूड़ा आदि हटाने के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	—
धारा 266, उप–धारा (1).	कूड़ा और गन्दगी चौबीस घण्टों से अधिक समय तक रखना आदि।	500	50
धारा 266, उप–धारा (2).	गन्दगी को पथ पर जाने देना।	500	50
धारा 266, उप–धारा (3).	कूड़ा या गन्दगी आदि का पथ, आदि में जमा किया जाना।	500	—

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 269, उप–धारा (1) और (2).	शौचालय और मूत्रालय अनुज्ञा के बिना या विहित निबन्धनों का उल्लंघन करके नहीं निर्मित किए जाएंगे।	500	—
धारा 270, उप–धारा (1).	नव निर्मित या पुननिर्मित भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	1,000	100
धारा 270, उप–धारा (3).	पृथक वासगृहों वाले आवास भवनों में पहली मंजिल पर सेवकों के लिए शौचालय, स्नान करने या धोने की व्यवस्था में असफलता।	500	—
धारा 271.	बहुत व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने में असफलता।	500	50
धारा 272.	बाजार, पशु शैड, गाड़ी स्टैंड, आदि के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने की अध्यपेक्षा की अनुपालन में असफलता।	500	50
धारा 273, खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ)।	शौचालय या मूत्रालय के लिए स्थान, आदि सम्बन्धी उपबन्ध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	50
धारा 274, उप–धारा (2).	अति भीड़े, भवनों को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	1,000	100
धारा 275.	मानव–निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	1,000	—
धारा 277, उप–धारा (1), (2),(3) और (4).	मानव–निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने के आदेश के अनुपालन में असफलता।	2,500	200
धारा 278.	अस्वच्छ झोंपड़ियों और शैडों आदि को हटाने की आयुक्त की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	50
धारा 279, उप–धारा (1).	धोबी द्वारा धुलाई की बाबत प्रतिषेध।	500	—
धारा 280.	खतरनाक रोग की जानकारी देने में असफलता।	500	—

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 282.	भवनों या वस्तुओं की सफाई करने और उनके विसंक्रामण की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	—
धारा 283.	संक्रामित झोंपड़ियों या शैडों को नष्ट करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	—
धारा 284.	किसी ऐसे स्थान में जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित नहीं है, कपड़ों, बिस्तरों, आदि की धुलाई।	500	—
धारा 286, उप–धारा (1).	संक्रामित कपड़े धोबी को या लांड्री को भेजना।	500	—
धारा 286, उप–धारा (2).	जिस धोबी या लांड्री को कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने में असफलता।	500	—
धारा 287, उप–धारा (1), (2), और (3).	खतरनाक रोग आदि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक प्रवहणों का उपयोग।	500	—
धारा 289.	भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण करने में असफलता।	500	—
धारा 290.	संक्रामित वस्तुओं का विसंक्रामण किए बिना व्ययन।	500	—
धारा 291.	संक्रामित व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाना या विक्रय करना या कपड़े धोना।	500	—
धारा 292.	आयुक्त द्वारा लगाए गए निबन्धन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय।	500	—
धारा 293.	आयुक्त के प्रतिषेध के उल्लंघन में कुंओं और तालाबों से जल ले जाना और उसका प्रयोग।	500	—
धारा 294.	किसी खतरनाक रोग, आदि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रामित से जोखिम में डालना।	500	—
धारा 295.	संक्रामित शवों को इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में हटाना।	500	—
धारा 296, उप–धारा (1).	सूचना के बिना झाड़ूकशों आदि की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति।	कारावास जो एक मास तक हो सकेगा या 1,000 रूपये या दोनों।	

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 297.	शमशान या कब्रिस्तानों के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा जानकारी देने में असफलता।	500	—
धारा 298.	नए शमशानों या कब्रिस्तानों का अनुज्ञा के बिना प्रयोग।	500	—
धारा 299, उप–धारा(1).	शमशान या कब्रिस्तान बन्द करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	—
धारा 299, उप–धारा(2).	किसी श्मशान या कब्रिस्तान को बन्द करने के पश्चात् उसमें शवों का दाहकर्म या दफनाया जाना।	500	—
धारा 300.	विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले जाना।	500	—
धारा 301, उप–धारा (1), खण्ड (ख).	मृत पशुओं के शवों को हटाने की सूचना देने में असफलता।	500	—
धारा 302, उप–धारा (1), (2), (3) और (6)	न्यूसेन्स करना	5,000	100
धारा 303.	न्यूसेन्स हटाने या उपशमन के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	50
धारा 304, उप–धारा (4).	कुत्तों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घूमने देना।	500	—
धारा 304, उप–धारा (5).	हिंसक कुत्ते को मुखबन्द, आदि लगाए बिना खुला घूमने देना।	500	—
धारा 305.	प्रतिषेध के उल्लंघन में ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना।	5,000	—
धारा 306.	खुली बत्ती रखना।	500	—
धारा 307.	ऐसी आतिशबाजी, अग्न्यायुध, आदि छोड़ना जिनसे खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है।	500	—
धारा 308.	भवनों, कुओं आदि को सुरक्षित करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	—
धारा 309.	अनुचित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि में घेरा लगाने की अध्यपेक्षा में असफलता।	500	—
धारा 314, उप–धारा (1).	नगरपालिका बाजारों में अनुज्ञा के बिना विक्रय करना।	500	—

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 315, उप–धारा (1).	स्थानों का प्राइवेट बाजारों के रूप में अनुज्ञप्ति के बिना प्रयोग करना और नगरपालिका वधशाला से भिन्न स्थानों का वधशालाओं के रूप में प्रयोग करना।	500	50
धारा 315, उप–धारा (2) परन्तुक (क).	आयुक्त द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन न करना।	500	–
धारा 317.	अनुज्ञप्ति आदि के बिना बाजार चलाना।	2,000	–
धारा 318.	अनुज्ञप्त बाजार में विक्रय करना।	500	–
धारा 319.	बाजार के निकट कारबार व्यापार चलाना।	500	–
धारा 322.	अनुज्ञप्ति आदि के बिना बूचड़ों, मछियारों या कुक्कुट विक्रेताओं द्वारा व्यापार करना।	500	50
धारा 323.	अनुज्ञा में बिना कारखाने आदि की स्थापना।	500	500
धारा 324.	अनुज्ञप्ति के बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं नहीं चलाई जाएंगी।	500	100
धारा 325, उप–धारा (3).	जीव–जन्तुओं आदि को रखा जाना, परित्याग किया जाना या बांधा जाना।	500	–
धारा 326, उप–धारा (5).	घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग।	500	–
धारा 327.	अनुज्ञप्ति आदि के बिना वस्तुओं का फेरी लगाकर विक्रय करना।	500	–
धारा 328.	अनुज्ञप्ति के बिना या उस से प्रतिकूल रूप में भोजनालय, बासा या चाय की दुकान, आदि रखना।	500	50
धारा 329.	अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना।	1,000	100
धारा 356, उप–धारा (5).	अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पेश करने में असफलता।	200	50
धारा 357.	आयुक्त को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश आदि की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से निवारित करना।	500	100
धारा 358.	आयुक्त को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी लगी हुई भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करना।	500	–

1	2	3	4
		रुपये	रुपये
धारा 363.	संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना या छेड़–छाड़ करना।	500	–
धारा 370, उप–धारा (4).	परिसरों के स्वामियों का नाम और पता बताने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता।	500	–
धारा 378, उप–धारा (3).	जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश जारी करने से आठ दिन के पश्चात् भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा उसके स्वामी को अधिनियम आदि के उपबन्धों का अनुपालन करने की सुविधाएं देने में असफलता।	500	50
धारा 409.	महापौर या किसी नगरपालिका प्राधिकारी, आदि को बाधा पहुंचाना।	500	–
धारा 410.	तल आदि दर्शित करने के लिए लगाया गया कोई चिन्ह हटाना।	500	–
धारा 411.	निगम आयुक्त आदि के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित सूचना को हटाना आदि।	500	–
धारा 412.	निगम में निहित किसी भूमि से मिट्टी बालू या अन्य सामग्री विधि विरूद्धतया हटाना या कोई पदार्थ विधिविरूद्धतया जमा करना या कोई अधिक्रमण करना।	700	–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 17 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 46.
4. Amendment of section 121.
5. Amendment of section 157.
6. Amendment of section 159.
7. Amendment of section 352.
8. Amendment of section 384.
9. Amendment of SECOND SCHEDULE.

Bill No. 17 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2016

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2016. Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2 In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (3-A), for the words "three persons", the words "five persons" shall be substituted. Amendment of section 4.

3. In section 46 of the principal Act,- Amendment of section 46.

(a) in sub-secton (1), for the words and sign "Joint/Assistant Commissioner", the words and sign "Additional/Joint Commissioner" shall be substituted, and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that an officer posted in the Corporation with less than seven years service shall be designated as Joint Commissioner and an officer with more than seven years service shall be designated as Additional Commissioner."; and

(b) in sub-section (2), for the words and sign "Joint/Assistant Commissioner", the words and sign "Additional/Joint Commissioner" shall be substituted.

Amendment of section 121.

4. In section 121 of the principal Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely.-

"Provided further that the Commissioner may, after affording an opportunity of being heard, deny or withdraw the No Objection Certificate issued for installation of electricity connection and disconnect the water connection and sewerage connection, if the owner, or the occupier of the premises in question is assessable to taxes and arrears to the Corporation as per the demand raised and the same may be restored on the written request of such owner or occupier, by the Commissioner by imposition of a penalty not exceeding twenty thousand rupees.". 5 10

Amendment of section 157.

5. In section 157 of the principal Act, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely;-

"(a) the Commissioner, with the prior approval of the Standing Committee constituted under sub-section (4) of section 40 of the Act, may dispose of, by sale, lease or otherwise, any movable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction, except such movable and immovable properties which is to be given on lease or otherwise, to the Government Departments, Boards or Corporations for public utility.". 15 20

Amendment of section 159.

6. In section 159 of the principal Act,-

(a) "in clause (c), for the words "rupees five lac", the words "rupees twenty lac" shall be substituted; and

(b) in the proviso to clause (c), for the words "rupees five lac", the words "rupees twenty lac" shall be substituted. 25

Amendment of section 352.

7. In section 352 of the principal Act, for the words "which may extend to five thousand rupees", the words "of ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 384.

8. In section 384 of the principal Act, for the words and sign "which may extend to five hundred rupees, and in case of a continuing failure or contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees", the words and sign "of five thousand rupees, and in case of a continuing failure 30

or contravention with an additional fine of five hundred rupees" shall be substituted.

9. In SECOND SCHEDULE appended to the principal Act, for the existing TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:— Amendment of SECOND SCHDULE

"TABLE

Section, sub-section, clause or proviso	Subject	Fine or imprisonment which may be imposed	Daily fine which may be imposed
1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 98, sub-section (1) and (2)	Failure to give notice of transfer or devolution of land or building.	8000	500
Section 98, sub-section (3)	Failure to produce instrument of transfer	7000	500
Section 99	Failure to give notice of erection of new building	8000	500
Section 100	Failure to give notice of demolition or removal of building.	8000	500
Section 101	Failure to comply with requisition to furnish information etc.	10000	500
Section 105 sub-section (2)	Wilful delay or obstruction of valuers	10000	500
Section 116	Prohibition of advertisement without permission	10000	500
Section 131	Failure to give notice of re-occupation of vacant land or building	6000	500
Section 136, sub-section (2)	Non-compliance with the requisition of attendance before the Commission	10000	1000
Section 139	Failure of disclose liability	10000	1000
Section 173	Failure to give notice	5000	500
Section 175	Prohibition to occupy new premises without arrangement for water supply.	6000	500
Section 180	Refusal of admittance, etc.	10000	500
Section 183, sub-section (1)	Laying of water pipes, etc. in a position where the same may be injured or water therein polluted.	5000	500
Section 183, sub-section (2)	Construction of latrines, etc., in a position where pipes may be injured or water therein polluted.	5000	500

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 187	Injury to, or interference with free flow of contents of municipal drain or drains communicating with municipal drain.	7000	500
Section 188, sub-section (2)	Private drain not to be connected with municipal drain without notice.	5000	500
Section 189	Non-compliance with requisition for drainage of undrained premises.	7000	500
Section 190	Erection of new premises without drains	10000	500
Section 191	Non-compliance with requisition of maintenance of drainage works for any group or block of premises.	10000	1000
Section192	Non-compliance with direction to close or limit the use of private drains in certain cases.	5000	500
Section 193	Non-compliance with Commissioners order regarding the use of a drain by a person other than the owner thereof.	10000	1000
Section 194	Non-compliance with requisition for keeping sewage and rain water drains distinct.	10000	1000
Section 195	Non-compliance with requisition for the payment of court-yard etc.	5000	500
Section 197	Connection with municipal water works of drains without written permission.	10000	1000
Section 200, sub-section (4)	Non-compliance with requisition to close, remove or divert a pipe or drain.	10000	1000
Section 206, sub-section (1)	Execution of work by a person other than a licensed plumber	2000	-
Section 206, sub-section (2)	Failure to furnish when required, name of licensed plumber employed.	2500	-
Section 206, sub-section (6)	Licensed plumbers not to demand more than the charge prescribed.	2000	-
Section 206, sub-section (8)	Licensed plumbers not to contravene bye-laws or execute work carelessly or negligently, etc.	5000	-
Section 207	Prohibition of wilful or neglectful acts relating to water or sewage works.	10000	1000
Section 215, sub-section (3)	Construction of building within the regular line of street without permission.	10000	1000
Section 217	Failure to comply with requisition to set back building to regular line of street.	10000	1000

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 220	Failure to comply with requisition to set forward buildings to regular line of street.	10000	1000
Section 223, sub-section (5)	Utilising, settling or otherwise dealing with any land or laying out a private street otherwise than in conformity with orders of the Corporation.	10000	1000
Section 224, sub-section (1) clauses (a) and (b)	Failure to comply with requisition to show cause for alteration of street or appearance before the Commissioner.	10000	1000
Section 225, sub-section (1)	Failure to comply with requisition on owner of private street or owner of adjoining land or building to level, etc. such street.	10000	1000
Section 227, sub-section (1)	Prohibition of projection upon street, etc.	Imprisonment for one month and Rs. 10,000 or both.	1000
Section 227, sub-section (2)	Failure to comply with requisition to remove projections from street.	Imprisonment for one month and Rs. 10000 or both.	1000
Section 228, sub-section (3)	Failure to comply with requisition to remove a verandah, balcony, etc, put up in accordance with section 235 (1).	10000	1000
Section 229	Failure to comply with requisition to have ground floor doors, etc., so altered as not to open outwards.	10,000	1000
Section 230, sub-section (1)	Erection, etc. of structures of fixtures which cause obstruction in streets.	10,000	1000
Section 230, sub-section (2)	Deposit, etc, of things in streets.	10000	1000
Section 233, sub-section (1) & (2)	Tethering of animals and milking of cattle in Public Streets.	10000	1000

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 234, sub-section (4)	Unlawful removal of bar or shorting timber etc, or removal or extinction of light.	10000	1000
Section 235, sub-section (1)	Streets not to be opened or broken up and building material not to be deposited thereon without permission.	10000	1000
Section 237, sub-section (2)	Name of street and number of house not to be destroyed or defaced etc.	5000	500
Section 238, sub-section (1)	Failure to comply with requisition to repair, project or enclose a dangerous place.	10000	1000
Section 240, sub-section (1)	Removal or damage of lamps.	5000	500
Section 240, sub-section (2)	Wilfully and negligently extinguishing light in public streets etc.	5000	500
Section 242	Erection of a building without the sanction of the Commissioner.	10,000 or imprison-ment upto three months or both.	1000
Section 243, sub-section (1)	Failure to give notice of intention to erect a building.	10000	1000
Section 244	Failure to give notice of intention to make additions etc, to building.	10000	1000
Section 247, sub-section (4)	Commencement of work without notice etc.	10000	1000
Section 249	Failure to comply with requisition to round of building at corners of streets.	10000	1000
Section 250, sub-section (1)	Erection of building on new streets without levelling.	10000	1000
Section 250, sub-section (2)	Erection of building on execution of work within regular line of street or in contravention of scheme or plan.	10000	1000
Section 252	Use of inflammable material without permission.	10000	1000
Section 253	Failure to demolish building erected without sanction or erection of buildings in contravention of order.	10,000 or imprison-ment upto three months or both.	1000

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 254	Erection of buildings in contravention of conditions of sanction etc.	10000	1000
Section 256	Failure to carry out alterations.	10000	1000
Section 257, sub-section (1) & (2)	Non-compliance with revision as to completion certificates, occupation or use etc.	10000	1000
Section 258, sub-section (1)	Non-compliance with restrictions on user of buildings.	10000	1000
Section 258, sub-section (2) & (3)	Failure to comply with requisition and to remove structures which are in ruins or likely to fall.	10000	1000
Section 258, sub-section (4)	Failure to comply with requisition to vacate buildings in dangerous conditions etc.	10000	1000
Section 264	Failure to provide for collection, removal and deposit of refuse and provision of receptacles.	5000	500
Section 265	Failure to comply with requisition for removal of rubbish etc, from premises used as market etc.	5000	500
Section 266, sub-section (1)	Keeping rubbish and filth for more than twenty four hours etc.	5000	500
Section 266, sub-section (2)	Allowing filth to flow in streets.	5000	500
Section 266, sub-section (3)	Depositing rubbish or filth etc. in street etc.	5000	500
Section 269, sub-section (1)	Non-Conversion of service latrines into water flush latrines/ water seal latrines and urinals not to be constructed without permission or in contravention of terms prescribed.	5000	500
Section 270, sub-section (1) & (2)	Failure to provide buildings newly erected or re-erected with latrine, urinal and other accommodation.	5000	500
Section 270, sub-section (3)	Failure to provide residential buildings composed of separate tenements with latrine, bathing or washing place for servants on the ground floor.	5000	500
Section 271	People and to keep them clean and in proper condition.	5000	500
Section 272	Failure to comply with requisition to provide latrines for market cattle shed, cart-stand, etc. and to keep them clean and in proper order.	5000	500

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 273, clause (a), (b), (c) and (d).	Failure to comply with requisition to enforce provision of latrine or urinal accommodation etc.	10000	1000
Section 274, sub-section (2)	Failure to comply with requisition for removal of congested buildings.	10000	1000
Section 275	Failure to comply with requisition to improve buildings unfit for human habitation.	10000	1000
Section 277, sub-section (1), (2), (3) and (4)	Failure to comply with order of demolition of buildings unfit for human habitation.	10000	1000
Section 278	Failure to comply with requisition of the Commissioner to remove insanitary huts and sheds etc.	10000	1000
Section 279, sub-section(1)	Prohibition against washing by washerman	5000	500
Section 280	Failure to give information of dangerous diseases.	10000	1000
Section 282	Failure to comply with requisition to cleanse and disinfect buildings or articles.	10000	1000
Section 283	Failure to comply with requisition to destroy infectious huts or sheds,	10000	1000
Section 284	Washing of clothing, bedding, etc. at any place not notified by the Commissioner.	5000	500
Section 286, sub-section(1)	Sending effected clothes to washerman or laundry	5000	500
Section 286, sub-section(2)	Failure to furnish address of washerman or laundry to which clothes have been sent.	5000	500
Section 287, sub-section (1), (2) & (3)	Use of public conveyances by persons suffering from a dangerous disease etc.	5000	500
Section 289	Failure to disinfect buildings before letting the same.	10000	1000
Section 290	Disposal of infected articles without disinfection.	5000	500
Section 291	Making or selling of food, etc. or washing of clothes by infected persons.	10000	1000

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 292	Sale of food or drink in contravention of restriction or prohibition of the Commissioner.	10000	1000
Section 293	Removal or use of water from wells and tanks in contravention of prohibition of Commissioner.	10000	1000
Section 294	Exposure of persons to risk of infection by the presence or conduct of a person suffering from a dangerous disease, etc.	10000	1000
Section 295	Removal of infectious corpses in contravention of the provision of the section.	10000	1000
Section 296, sub-section (1)	Absence of sweepers, etc., from duty without notice.	Imprisonment which may extend to one month of Rs. 10000 or both.	—
Section 297	Failure to supply information by persons in-charge of burning or burial grounds.	5000	500
Section 298	Use of new burning or burial ground without permission	5000	500
Section 299, sub-section (1)	Failure to comply with requisition to close burning or burial grounds.	10000	1000
Section 299, sub-section (2)	Burning or burial of corpses in burial grounds after it has been closed.	10000	1000
Section 300	Removal of corpses by other than prescribed routes.	10000	1000
Section 301, sub-section (1) clause (b).	Failure to give notice for removal of corpses of dead animals	10000	1000
Section 302, sub-section (1), (2), (3) and (6)	Commission of nuisances	5000	100
Section 303	Failure to comply with requisition for removal or abatement of nuisance.	10000	1000
Section 304, sub-section (4)	Dogs not to be at large in a street without being secured by a chain lead.	5000	500
Section 304, sub-section (5)	Ferocious dogs at large without being muzzled, etc.	5000	500

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 305	Stacking inflammable material in contravention of prohibition.	10000	1000
Section 306	Setting a naked light.	5000	500
Section 307	Discharging fire-works, fire arms, etc., likely to cause danger.	5000	500
Section 308	Failure to comply with requisition to render buildings, wells etc. safe.	10000	1000
Section 309	Failure to comply with requisition to enclose land used for improper purposes.	10000	1000
Section 314, sub-section (1)	Sale in municipal markets without permission.	10000	1000
Section 315, sub-section (1)	Use of places as private market without a licence and use of places other than a municipal slaughter house as slaughter house.	10000	1000
Section 315, sub-section (2) Proviso (a)	Non-compliance, with condition, imposed by Commissioner.	10000	1000
Section 317	Keeping market open without licence etc.	10000	1000
Section 318	Sale in unlicensed market.	10000	1000
Section 319	Carrying on business or trades near a market.	10000	1000
Section 322	Carrying on butcher's, fish-monger's or poulter's trade without licence, etc.	5000	500
Section 323	Establishment of factory etc., without permission.	10000	1000
Section 324	Certain things not to be kept and certain trades and operations not to be carried on without a licence.	10000	1000
Section 325, sub-section (3)	Keeping, abandonment or tethering of animals, etc.	5000	500
Section 326, sub-section (5)	Use of premises in contravention of declaration.	10000	1000
Section 327	Hawking articles for sale without a licence etc.	5000	500
Section 328	Keeping a lodging house, eating house, tea shop, etc., without licence or contrary to licence.	10000	1000
Section 329	Keeping open theatre, circus or other place of public amusement without licence or contrary to terms of licence.	10000	1000
Section 356, sub-section (5)	Failure to produce licence or written permission.	10000 or imprisonment upto three months or both.	1000

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 357	Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry etc.	10000 or imprisonment upto three months or both.	1000
Section 358	Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry upon any adjoining land.	10000 or imprisonment upto three months or both.	1000
Section 363	Obstruction or molestation in execution of work.	10000 or imprisonment upto three months or both.	1000
Section 370, sub-section(4)	Failure to comply with requisition to state the name and address of owners of premises.	10000	1000
Section 371, sub-section(3)	Failure of occupier of land or building to afford owner facilities for complying with provisions of the Bill etc. After eight days from issue of order by District Judge.	5000	500
Section 409	Observation of Mayor or any Corporation authority etc.	10000 or imprisonment upto three months or both.	1000
Section 410	Removal of any mark, set up for indicating level etc.	5000	500
Section 411	Removal etc, of notice exhibited by or under order of the Corporation Commissioner, etc.	5000	500
Section 412	Unlawful removal of earth, sand or other material or deposit of any matter or making of any encroachment from any land vested in the Corporation.	10000	1000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 provides for constitution of Corporation. Under this section, the State Government has the power to nominate not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal Administration. Now, it has been proposed to increase the number of nominated members from three to five. Section 46 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 empowers the State Government to appoint Joint/Assistant Commissioner and certain other officers in the Municipal Corporation. According to the existing provisions of section 46, the Legal Advisor-cum- Law Officer with 7 years service would be designated as Additional Commissioner, whereas, an officer from the Civil State Service after completing of 8 years service will be designated as Joint Commissioner. Thus, in order to remove this ambiguity, it has been decided to make a provision to designate an administrative officer posted in the Municipal Corporation with less than seven years service as Joint Commissioner and an officer with more than seven years service as Additional Commissioner.

Further, the penalities provided under the different provisions of the Act ibid, is very nominal in the present time and age. Imposition of penalty ranging from rupees 50/- to rupees 500/- is considered not at all sufficient and is an apology in the name of penalty. The issue with regard to the existing penalties under the Municipal laws have also came before the Hon'ble High Court while hearing CWPIL No.28/2011, titled as Abhishek Rai V/s State of H.P. and others wherein the Hon'ble Court has observed that the Government should consider to enhance the penalties under the Municipal laws. The issue has been examined and it has been considered just and proper to enhance the penalties provided under various provisions of the Act ibid so as to make the provisions more deterrent. According to section 157 of the Act ibid, the movable or immovable property of the Corporation can only be disposed of on lease, sale or otherwise by public auction only. The Corporation cannot provide its properties to the Government Departments, Boards, and Corporations for public purpose without resorting to public auction. There are number of requests pending with the Corporation relating to public utility schemes, but due to this existing provision, the Corporation cannot provide its properties to such Departments, Boards or Corporations for such public purposes. Thus, it has been decided to make provision enabling the Corporation to allot/dispose of its properties to the Government Departments, Boards and Corporations for implementation of such public utility schemes in the larger public interest.

Further, according to section 159, the financial power of the Commissioner to enter into a contract has been restricted up-to five lac and thereafter, the Commissioner has to approach the General House of the Corporation to execute the work/contract beyond five lac which results delay in execution of such work. Thus, in order to avoid such delay and to ensure expeditious execution of developmental activities, it has been decided to enhance the financial power of the

Commissioner up-to twenty lac and above twenty lac, prior approval of Corporation shall be required. This has necessitated amendments in various provisions of the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUDHIR SHARMA)
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The ——————,2016

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

(SUDHIR SHARMA)
Minister-in-charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA :

The , 2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION Act, 1994 (ACT NO. 12 OF 1994) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

Section 4. Incorporation and constitution of Corporation.—(1) The Corporation shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power subject to the Provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and may by the said name sue and be sued.

(2) Save as provided in sub-section(3), all seats in the Corporation shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the municipal area and for this purpose the municipal area shall, by a notification issued in this behalf, be divided into territorial constituencies to be known as wards.

[(3) In the Corporation, in addition to persons chosen by direct election under this section, the Members of the State Legislative Assembly, representing constituencies which comprise wholly or partly in municipal area, shall also be the Councillors[.]

[(3A). The State Government may, by notification, nominate as councillors not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration:
Provided that a person who contested and lost the immediately preceding election of any Corporation shall not be nominated by the State Government as a Councillor of that Corporation or any other Corporation during its existing term:

Provided further that a Councillor nominated under subsection whether before or after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003 shall hold office during the pleasure of the State Government, but not beyond the term of Corporation as provided for in subsection (1) of section 5 of this Act.

(3-B) The nominated Councillors referred to in sub-section (3-A) and the Commissioner shall have the right to attend the meetings of the Corporation and to take part in the discussion therein but shall not have any right to vote.

(4) Where after the commencement of this Act, any municipal area is declared to be Corporation under sub-section (2) of section 3, all powers and duties conferred and imposed upon the Corporation by or under this Act or any other law, shall be exercised and performed by

the Commissioner for a period not exceeding six months or till a Corporation is constituted under the provisions of Act, whichever is earlier.

46. Appointment of Joint/Assistant Commissioner and certain other officers.— (1) The State Government may, if in its opinion it is expedient to do so in the public interest, appoint a person or persons to be called Joint/Assistant Commissioner appointed under section 45 for the efficient performance of the functions of the Corporation and they shall be governed by such conditions of service as may be fixed by the State Government from time to time.

(2) Subject to the approval of the Corporation and rules made in this behalf, the Joint/ Assistant Commissioners appointed under sub-section (1) shall be subordinate to the Commissioner and shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred and imposed upon the Commissioner under this Act and are further delegated to them by the Commissioner.

(3) There shall be a Legal Advisor-*cum*-Law Officer to aid and advice the Corporation in all legal matters, to be appointed by the Corporation on such terms and conditions as may be prescribed :

Provided that he shall be designated as Joint Commissioner (Legal) after completion of five years regular service in the grade and Additional Commissioner (Legal) on completion of at least two years regular service as Joint Commissioner (legal).

121. Time and manner of payment of taxes or fees.—Save as otherwise provided in this Act, any tax or fee levied under this Act shall be payable on such dates, in such number of instalments and in such manner as may be determined by bye-laws in this behalf :

Provided that if the tax or fee is not paid within one month of the due date, an interest at the rate of one percent per month shall be charged for every calendar month or part thereof.

157. Disposal of property.—With respect to the disposal of property belonging to the Corporation, the following provisions shall have effect, namely: (a) the Commissioner, with the prior approval of the standing committee, constituted under sub-section (4) of section 40 of this Act, may dispose of, by sale, lease or otherwise, any moveable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction;

(b) the mode and condition precedent to the transfer of immovable property, shall be governed by regulations or bye-laws made by the Corporation; and

(c) the Commissioner shall maintain a register giving therein the detail of the immovable properties and prepare annual statement indicating the changes, if any, in the said inventory, in such manner as may be prescribed by bye-laws and shall place the same before the Corporation for consideration at the end of the year.

159. Procedure for making contracts.—With respect to the making of contracts, the following provisions shall have effect, namely :—

(a) every such contract shall be made on behalf of the Corporation by the Commissioner;

(b) no such contract, for any purpose which in accordance with any provision of this Act the Commissioner may not carry out without the approval or sanction of the Corporation, shall be made by him until and unless such approval or sanction has been duly obtained ;

(c) every contract involving an expenditure not exceeding rupees five lac or such higher amount as the Corporation may fix, may be made by the Commissioner :

Provided that contract exceeding rupees five lac in value or such higher amount as the Government may fix, shall be made by the Commissioner only after prior approval of the Corporation.

352. Penalty.—Whoever falls or abets the falling of any tree or causes any tree to be felled in contravention of the provisions of this Chapter or any rules made thereunder without any reasonable excuse, fails to comply with any order issued or conditions imposed by the Tree Officer or any other officer subordinate to him in the discharge of their functions under the provisions of this Chapter shall on conviction be punished with imprisonment which may extend to [two years] or with fine which may extend to [five thousand] rupees or with both.

Explanation.— For the purposes of this section a breach of the provisions of this Chapter or abetment of breach thereof in respect of cutting or destroying each tree shall be a separate offence.

384. General.—Whoever, in any case in which a penalty is not expressly provided by this Act, fails to comply with any notice, order or requisition issued under any provision thereof, or otherwise contravenes any of the provisions of this Act, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, and in the case of a continuing failure or contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for everyday after the first, during which he has persisted in the failure or contravention.

SECOND SCHEDULE
(See section 383)

PENALTIES

Explanation.—The entries in the second column of the following table headed 'Subject' are not intended are definition of the offences prescribed int he provision mentioned in the first column or even as abstracts of the provision but are inserted merely as reference to the subject thereof.

Section, sub-section, clause or proviso	Subject	Fine or imprisonment which may be imposed	Daily fine which may be imposed
1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 98, sub-section (1) and (2)	Failure to give notice of transfer or devolution of land or building.	500	50
Section 98, sub-section(3)	Failure to produce instrument of transfer	500	50
Section 99	Failure to give notice of erection of new building	500	—
Section 100	Failure to give notice of demolition or removal of building.	500	50
Section 101	Failure to comply with requisition to furnish information etc.	500	—
Section 105 sub-section (2)	Wilful delay or obstruction of valuers	500	—
Sction 116	Prohibition of advertisement without permission	500	50
Section 131	Failure to give notice of re-occupation of vacant land or building	500	50
Section 136, sub-section (2)	Non-compliance with the requisition of attendance before the Commission	500	—
Section 139	Failure of disclose liability	500	—
Section 173	Failure to give notice	500	—
Section 175	Prohibition to occupy new premises without arrangement for water supply.	500	50
Section 180	Refusal of admittance, etc.	500	—

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 183, sub-section (1)	Laying of water pipes, etc. in a position where the same may be injured or water therein polluted.	500	50
Section 183, sub-section (2)	Construction of latrines, etc., in a position where pipes may be injured or water therein polluted.	500	50
Section 187	Injury to, or interference with free flow of contents of municipal drain or drains communicating with municipal drain.	500	50
Section 188, sub-section (2)	Private drain not to be connected with municipal drain without notice.	500	50
Section 189	Non-compliance with requisition for drainage of undrained premises.	500	50
Section 190	Erection of new premises without drains	1000	100
Section 191	Non-compliance with requisition of maintenance of drainage works for any group or block of premises.	500	50
Section 192	Non-compliance with direction to close or limit the use of private drains in certain cases.	500	50
Section 193	Non-compliance with Commissioners order regarding the use of a drain by a person other than the owner thereof.	500	—
Section 194	Non-compliance with requisition for keeping sewage and rain water drains distinct.	500	—
Section 195	Non-compliance with requisition for the payment of court-yard etc.	500	—
Section 197	Connection with municipal water works of drains without written permission.	500	50
Section 200, sub-section (4)	Non-compliance with requisition to close, remove or divert a pipe or drain.	500	50
Section 206, sub-section (1)	Execution of work by a person other than a licensed plumber	500	—
Section 206, sub-section (2)	Failure to furnish when required, name of licensed plumber employed.	500	—
Section 206, sub-section (6)	Licensed plumbers not to demand more than the charge prescribed.	500	—
Section 206, sub-section (8)	Licensed plumbers not to contravene bye-laws or execute work carelessly or negligently, etc.	500	—
Section 207	Prohibition of wilful or neglectful acts relating to water or sewage works.	500	—

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 215, sub-section (3)	Construction of building within the regular line of street without permission.	2000	200
Section 217	Failure to comply with requisition to set back building to regular line of street.	500	50
Section 220	Failure to comply with requisition to set forward buildings to regular line of street.	500	50
Section 223, sub-section (5)	Utilising, settling or otherwise dealing with any land or laying out a private street otherwise than in conformity with orders of the Corporation.	500	50
Section 224, sub-section (1) clauses (a) and (b)	Failure to comply with requisition to show cause for alteration of street or appearance before the Commissioner.	500	50
Section 225, sub-section (1)	Failure to comply with requisition on owner of private street or owner of adjoining land or building to level, etc. such street.	500	50
Section 227, sub-section (1)	Prohibition of projection upon street, etc.	Imprisonment for one month and Rs. 1,000 or both.	100
Section 227, sub-section (2)	Failure to comply with requisition to remove projections from street.	500	50
Section 228, sub-section (3)	Failure to comply with requisition to remove a verandah, balcony, etc, put up in accordance with section 235 (1).	500	50
Section 229	Failure to comply with requisition to have ground floor doors, etc., so altered as not to open outwards.	1,000	50
Section 230, sub-section (1)	Erection, etc. of structures of fixtures which cause obstruction in streets.	1,000	100
Section 230, sub-section (2)	Deposit, etc, of things in streets.	500	—
Section 233, sub-section (1) & (2)	Tethering of animals and milking of cattle in Public Streets.	500	50

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 234, sub-section (4)	Unlawful removal of bar or shorting timber etc, or removal or extinction of light.	500	—
Section 235, sub-section (1)	Streets not to be opened or broken up and building material not to be deposited thereon without permission.	500	50
Section 237, sub-section (2)	Name of street and number of house not to be destroyed or defaced etc.	500	—
Section 238, sub-section (1)	Failure to comply with requisition to repair, project or enclose a dangerous place.	500	50
Section 240, sub-section (1)	Removal or damage of lamps.	500	—
Section 240, sub-section (2)	Wilfully and negligently extinguishing light in public streets etc.	500	—
Section 242	Erection of a building without the sanction of the commissioner.	5,000	500
Section 243, sub-section (1)	Failure to give notice of intention to erect a building.	500	—
Section 244	Failure to give notice of intention to make additions etc, to building.	500	50
Section 247, sub-section (4)	Commencement of work without notice etc.	2,000	200
Section 249	Failure to comply with requisition to round of building at corners of streets.	500	50
Section 250, sub-section (1)	Erection of building on new streets without levelling.	1,000	50
Section 250, sub-section (2)	Erection of building on execution of work within regular line of street or in contravention of scheme or plan.	1,000	—
Section 252	Use of inflammable material without permission.	1,000	—
Section 253	Failure to demolish building erected without sanction or erection of buildings in contravention of order.	2,000	200
Section 254	Erection of buildings in contravention of conditions of sanction etc.	2,000	200
Section 256	Failure to carry out alterations.	2,000	—
Section 257, sub-section (1) & (2)	Non-compliance with revision as to completion certificates, occupation or use etc.	500	50

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 258, sub-section (1)	Non-compliance with restrictions on user of buildings.	1,000	100
Section 258, sub-section (2) & (3)	Failure to comply with requisition and to remove structures which are in ruins or likely to fall.	2,000	200
Section 258, sub-section (4)	Failure to comply with requisition to vacate buildings in dangerous conditions etc.	1,000	100
Section 264	Failure to provide for collection, removal and deposit of refuse and provision of receptacles.	500	50
Section 265	Failure to comply with requisition for removal of rubbish etc, from premises used as market etc.	500	—
Section 266, sub-section (1)	Keeping rubbish and filth for more than twenty four hours etc.	500	50
Section 266, sub-section (2)	Allowing filth to flow in streets.	500	50
Section 266, sub-section (3)	Depositing rubbish or filth etc. in street etc.	500	—
Section 269, sub-section (1)	Non-Conversion of service latrines into water flush latrines/water seal latrines and urinals not to be constructed without permission or in contravention of terms prescribed.	500	—
Section 270, sub-section (1) & (2)	Failure to provide buildings newly erected or re-erected with latrine, urinal and other accommodation.	1,000	100
Section 270, sub-section (3)	Failure to provide residential buildings composed of separate tenements with latrine, bathing or washing place for servants on the ground floor.	500	—
Section 271	People and to keep them clean and in proper condition.	500	50
Section 272	Failure to comply with requisition to provide latrines for market cattle shed, cart-stand, etc. and to keep them clean and in proper order.	500	50
Section 273, clause (a), (b), (c) and (d).	Failure to comply with requisition to enforce provision of latrine or urinal accommodation etc.	500	50
Section 274, sub-section (2)	Failure to comply with requisition for removal of congested buildings.	1,000	100

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 275	Failure to comply with requisition to improve buildings unfit for human habitation.	1,000	—
Section 277, sub-section (1), (2), (3) and (4)	Failure to comply with order of demolition of buildings unfit for human habitation.	2,000	200
Section 278	Failure to comply with requisition of the Commissioner to remove insanitary huts and sheds etc.	500	50
Section 279, sub-section(1)	Prohibition against washing by washerman	500	—
Section 280	Failure to give information of dangerous diseases.	500	—
Section 282	Failure to comply with requisition to cleanse and disinfect buildings or articles.	500	—
Section 283	Failure to comply with requisition to destroy infectious huts or sheds,	500	—
Section 284	Washing of clothing, bedding, etc. at any place not notified by the Commissioner.	500 500	— —
Section 286, sub-section(1)	Sending effected clothes to washerman or laundry	500	—
Section 286, sub-section(2)	Failure to furnish address of washerman or laundry to which clothes have been sent.	500	—
Section 287, sub-section (1), (2) & (3)	Use of public conveyances by persons suffering from a dangerous disease etc.	500	—
Section 289	Failure to disinfect buildings before letting the same.	500	—
Section 290	Disposal of infected articles without disinfection.	500	—
Section 291	Making or selling of food, etc. or washing of clothes by infected persons.	500	—
Section 292	Sale of food or drink in contravention of restriction or prohibition of the Commissioner.	500	—
Section 293	Removal or use of water from wells and tanks in contravention of prohibition of Commissioner.	500	—
Section 294	Exposure of persons to risk of infection by the presence or conduct of a person suffering from a dangerous disease, etc.	500	—

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 295	Removal of infectious corpses in contravention of the provision of the section.	500	—
Section 296, sub-section (1)	Absence of sweepers, etc., from duty without notice.	Imprisonment which may extend to one month or Rs. 1,000 or both.	—
Section 297	Failure to supply information by persons in-charge of burning or burial grounds.	500	—
Section 298	Use of new burning or burial ground without permission	500	—
Section 299, sub-section (1)	Failure to comply with requisition to close burning or burial grounds.	500	—
Section 299, sub-section (2)	Burning or burial of corpses in burial grounds after it has been closed.	500	—
Section 300	Removal of corpses by other than prescribed routes.	500	—
Section 301, sub-section (1) clause (b).	Failure to give notice for removal of corpses of dead animals	500	—
Section 302, sub-section (1), (2), (3) and (6)	Commission of nuisances.	5000	100
Section 303	Failure to comply with requisition for removal or abatement of nuisance.	500	—
Section 304, sub-section (4)	Dogs not to be at large in a street without being secured by a chain lead.	500	—
Section 304, sub-section (5)	Ferocious dogs at large without being muzzled, etc.	500	—
Section 305	Stacking inflammable material in contravention of prohibition.	5,000	—
Section 306	Setting a naked light.	500	—
Section 307	Discharging fire-works, fire arms, etc., likely to cause danger.	500	—
Section 308	Failure to comply with requisition to render buildings, wells etc. safe.	500	—

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 309	Failure to comply with requisition to enclose land used for improper purposes.	500	—
Section 314, sub-section (1)	Sale in municipal markets without permission.	500	—
Section 315, sub-section (1)	Use of places as private market without a licence and use of places other than a municipal slaughter house as slaughter house.	500	—
Section 315, sub-section (2) Proviso (a).	Non-compliance, with condition, imposed by Commissioner.	500	—
Section 317	Keeping market open without licence etc.	2,000	—
Section 318	Sale in unlicensed market.	500	—
Section 319	Carrying on business or trades near a market.	500	—
Section 322	Carrying on butcher's, fish-monger's or poulter's trade without licence, etc.	500	50
Section 323	Establishment of factory etc., without permission.	500	50
Section 324	Certain things not to be kept and certain trades and operations not to be carried on without a licence.	500	100
Section 325, sub-section (3)	Keeping, abandonment or tethering of animals, etc.	500	—
Section 326, sub-section (5)	Use of premises in contravention of declaration.	500	—
Section 327	Hawking articles for sale without a licence etc.	500	—
Section 328	Keeping a lodging house, eating house, tea shop, etc., without licence or contrary to licence.	500	50
Section 329	Keeping open theatre, circus or other place of public amusement without licence or contrary to terms of licence.	1,000	100
Section 356, sub-section (5)	Failure to produce licence or written permission.	200	50
Section 357	Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry etc.	500	100
Section 358	Preventing the Commissioner or any person authorised in this behalf from exercising his powers of entry upon any adjoining land.	500	—
Section 363	Obstruction or molestation in execution of work.	500	—

1	2	3	4
		Rs.	Rs.
Section 370, sub-section(4)	Failure to comply with requisition to state the name and address of owners of premises.	500	—
Section 371, sub-section(3)	Failure of occupier of land or building to afford owner facilities for complying with provisions of the Bill etc. After eight days from issue of order by District Judge.	500	50
Section 409	Observation of Mayor or any Corporation authority etc.	500	—
Section 410	Removal of any mark, set up for indicating level etc.	500	—
Section 411	Removal etc, of notice exhibited by or under order of the Corporation Commissioner, etc.	500	—
Section 412	Unlawful removal of earth, sand or other material or deposit of any matter or making of any encroachment from any land vested in the Corporation.	700	—

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला—1037—जुड / 2016—24—8—2016—250.